बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

अधिसूचना

अधिसूचना संख्याः– 3/अ0प्र0–1–236/2012 113 /पटना, दिनांक :– 21.1.22

रोहतास जिलान्तर्गत पी0एम0जी0एस0वाई0 के तहत सूर्यपुरा से अगरेर कला भाया डबरिया रामपुर तक 2 कि0मी0 में पथ निर्माण (पैकेज सं0–बी0आर–28–05) एवं सूर्यपुरा से अगरेर कला भाया डबरिया रामपुर तक 8 कि0मी0 में पथ निर्माण (पैकेज सं0–बी0आर–28–05 M) की तकनीकी परीक्षक कोषांग, निगरानी विभाग द्वारा की गई जॉच में पथ निर्माण से संबंधित निम्नलिखित अनियमितता पाई गई–

क. प्रथम पथ–सूर्यपुरा से अगरेर कला भाया डबरिया रामपुर तक–2 कि0मी0 में पी0सी0सी0 पथ के किनारे 150 मीटर लम्बाई में ही नाला निर्मित है जबकि मापी पुस्त में 300 मीटर की प्रविष्टि है। बिटुमिनस पथ की औसत कुल मोटाई जी0एस0बी0 सहित 322 मि0मी0 पाया गया, जबकि मापी पुस्त के अनुसार इसकी कुल मोटाई GSB, WBM Gr-II, WBM Gr-III एवं PMC सहित 370 मि0मी0 है।

ख. द्वितीय पथ –सूर्यपुरा से अगरेर कला भाया डबरिया रामपुर तक–8 कि0मी0 में पथ की मापी के आधार पर कुल औसत मोटाई (पी0एम0सी0 छोड़कर) 257 मि0मी0 है, जबकि पी0एम0सी0 को छोड़कर कुल मोटाई 350 मि0मी0 का प्रावधान है। मापी पुस्त में प्रविष्टि के अनुरूप कुल 9 अदद हयूम पाईप कल्वर्ट का निर्माण हुआ है जबकि विभागीय जॉच में मात्र एक हयूम पाईप कलवर्ट का निर्माण हुआ है।

2. निगरानी विभाग से प्राप्त उक्त जॉच प्रतिवेदन के आलोक में पथ निर्माण में पाई गई अनियमितता के लिए श्री अभय आनन्द शर्मा, तदेन सहायक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल सासाराम–1 के विरूद्ध आरोप पत्र (आरोप वर्ष 2011–12) गठित कर विभागीय पत्रांक 3484दिनांक 26.11.2019 के माध्यम से स्पष्टीकरण की मांग की गई।

3. श्री शर्मा द्वारा पत्रांक शून्य दिनांक 21.09.2021 के माध्यम से समर्पित स्पष्टीकरण में उपर उल्लेखित प्रथम पथ के संबंध में पी0सी0सी0 पथ के किनारे 300 मी0 में नाले का निर्माण किये जाने का उल्लेख करते हुए साक्ष्य स्वरूप उसका फोटोग्राफ संलग्न किया गया साथ ही यह उल्लेख किया गया है कि निर्माण कार्य के लगभग सात वर्षो के बाद पथ के निरीक्षण में बिटुमिनस पथ की औसत कुल मुटाई (पी0एम0सी0 छोड़कर) प्रावधानित 350 मी0मी0 में 322 मी0मी0 पाया गया, जो कार्य के गुणवत्तापूर्ण होने की पुष्टि करता है क्योंकि सात वर्षो में पथ पर परिचालन एवं अन्य मौसमी दशाएँ होने के बाद पथ में क्षरण होना स्वाभाविक है। श्री शर्मा द्वारा यह भी उल्लेख किया गया कि पी0एम0सी0 कार्य उनके पदस्थापन अवधि में नहीं कराया गया। द्वितीय पथ में पथ की औसत मोटाई (पी0एम0सी0 को छोड़कर) प्रावधानित 350 मी0मी0 के स्थान पर मात्र 257 मी0मी0 पाये जाने के संबंध में श्री शर्मा द्वारा यह स्पष्टीकरण दिया गया कि उक्त कार्य निर्माणाधीन अवस्था में ही था जब उनका स्थानांतरण अन्यत्र हो गया। कार्य ससमय पूर्ण नहीं किये जाने के कारण संबंधित कार्य को कार्यपालक अभियंता द्वारा विखंडित कर दिया गया। पुनः Empowered Committee द्वारा संवेदक द्वारा समर्पित शपथ पत्र जिसमें संवेदक द्वारा प्रश्नगत् कार्य को दिनांक 30.11.2017 तक पूर्ण करने का शपथ पत्र दिया गया था, के आधार पर विखंडन आदेश को निरस्त कर संवेदक को कार्य पूर्ण करने का निदेश भी दिया गया परंतु शपथ

(P.N) Phone-0612-2545191 Fax-0612-2545322, Website:- http//rwdbihnic.org, E-mail : secretaryrwdbihar@gmail.com , secy-reo-bih@nic.in

पत्र समर्पित किये जाने के बावजूद भी संवेदक द्वारा तकनीकी परीक्षक कोषांग द्वारा किये गये जांच की तिथि 15.04.2018 तक कार्य को पूर्ण नहीं किया गया, जिसकी पूरी जिम्मेवारी संवेदक के उपर थी। साथ ही एफ–2 एकरारनामा के Clause-6 के अनुसार कार्यपालक अभियंता, Engineer in charge होते हैं जो एकरारनामा के विभिन्न Clause के अनुरूप कार्रवाई करने के लिए सक्षम प्राधिकार हैं। इसप्रकार मोटाई में कमी के लिए वे किसी प्रकार से जिम्मेवार नहीं है।

4. श्री शर्मा से प्राप्त स्पष्टीकरण की विभागीय समीक्षा की गई। मामले की समग्र समीक्षोपरान्त यह पाया गया कि आरोपित अभियंता द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य एवं तर्क पूर्णतः स्वीकारयोग्य नहीं है बल्कि इनके विरूद्ध आरोप आंशिक रूप से प्रमाणित होता है।

5. उपर्युक्त के आलोक में श्री शर्मा के स्पष्टीकरण को अस्वीकृत करते हुए उनके विरूद्ध प्रमाणित आरोपों के लिए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 (यथा समय–समय पर संशोधित) के नियम 14 (v) में वर्गीकृत संचयी प्रभाव के बिना एक वेतनवृद्धि पर रोक की शास्ति अधिरोपित करने के प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त किया गया।

6. अतः उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में श्री अभय आनन्द शर्मा, तदेन सहायक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, सासाराम–1 सम्प्रति कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल मनिहारी को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 (यथा समय–समय पर संशोधित) के नियम 14 (v) के तहत निम्न दंड अधिरोपित एवं संसूचित किया जाता है:–

(i) असंचयात्मक प्रभाव से एक वेतन वृद्धि पर रोक की शास्ति।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

19.01.22

(कृष्ण मोहन सिंह)
उप सचिव

ज्ञापांक :– 3/अ0प्र0–1–236/2012 114 /पटना, दिनांक:– 21-1-22

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, ई–गजट कोषांग, वित विभाग, बिहार, पटना को दो प्रतियों में हार्ड कॉपी एवं सी.डी के साथ सूचनार्थ एवं बिहार राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

19.01.22

उप सचिव

ज्ञापांक :– 3/अ0प्र0–1–236/2012 114 /पटना, दिनांक:– 21-1-22

प्रतिलिपि:– महालेखाकार, बिहार, पटना, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, बिहार, पटना/ कोषागार पदाधिकारी, कटिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19.01.22

उप सचिव

(P.N) Phone-0612-2545191 Fax-0612-2545322, Website:- http//rwdbihnic.org, E-mail : secretaryrwdbihar@gmail.com , secy-reo-bih@nic.in

ज्ञापांक :– 3/अ0प्र0–1–236/2012 114 /पटना, दिनांकः– 21.1.22

प्रतिलिपिः– प्रधान सचिव/सचिव, पथ निर्माण विभाग/भवन निर्माण विभाग/ग्रामीण विकास विभाग/योजना एवं विकास विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग/निगरानी विभाग/जल संसाधन विभाग/अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग/सभी मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/सभी अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल सासाराम–1/मनिहारी/ प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–5/6, ग्रामीण कार्य विभाग/ श्री अभय आनन्द शर्मा, तदेन सहायक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, सासाराम–1 सम्प्रति कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल मनिहारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19.01.22

उप सचिव

ज्ञापांक :– 3/अ0प्र0–1–236/2012 114 /पटना, दिनांकः– 21.1.22

प्रतिलिपि :– आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

19.01.22

उप सचिव

(P.N) Phone-0612-2545191 Fax-0612-2545322, Website:- http//rwdbihnic.org, E-mail : secretaryrwdbihar@gmail.com , secy-reo-bih@nic.in